

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 के नियम 24 (2) (ए) के प्रावधानान्तर्गत राशित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अभिशंभानुसार पे-मैट्रिक्स के लेवल-14 में प्रधानाध्यापक मावि एवं समकक्ष पद (ग्रुप-एफ) की उनके नाम के आगे अंकित वर्ष की रिकॉर्ड के विरुद्ध बयान का निर्णय राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण), नियन्त्रण एवं अपील नियमों के नियम-1958 के नियम 18 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण बन्द लिफाफे में रखा गया था।

निम्नांकित कार्मिक के विरुद्ध चल रही उक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही के संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) चूरु संभाग, चूरु के आदेश क्रमांक: संनि/स्कूल शिक्षा/चूरु/विजांच/ निलंबन/2011/94 दिनांक 14.11.18 द्वारा प्रकरण समाप्त (DROP) किये जाने के कारण इनका बंद लिफाफा खोला जाकर इनके नाम के सामने अंकित वर्ष की रिकॉर्ड के विरुद्ध पे-मैट्रिक्स के लेवल-14 पर प्रधानाध्यापक-मावि एवं समकक्ष पद (ग्रुप-एफ) पद पर चयनित किया जाता है। इनकी वरिष्ठता प्रधानाध्यापक-मावि एवं समकक्ष नाम के सामने अंकित वर्ष की मुख्य सूची में निम्नानुसार प्रतिस्थापित होगी :-

| क्र०सं० | वरिष्ठता क्रमांक एवं वर्ष | नाम कार्मिक एवं पद | जन्म दिनांक | डीपीसी वर्ष | जिन कार्मिकों के मध्य प्रतिस्थापित किया जाना है | | |
|---------|---------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|---|-----------|----------------------|
| | | | | | नाम व वर्ग | जन्म तिथि | वारि० / वर्ष |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1906 वर्ष 1991-92 | श्री प्रकाशवीर व०अ०-अंग्रेजी | 28-09-1965 | 2017-18 SCH-I | BRIJMOHAN LAL | 07-09-66 | 1905-A/51- 92 |
| | | | | | KEDAR NATH KOUSHIK | 11-02-59 | 1907- (II)B/95-92 |

राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक प० 7(1) कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत कार्मिक की दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान होने एवं उक्त पद को निर्धारित योग्यता धारित नही करने पर, पदोन्नति के पात्र नही होंगे।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/बी-III/डीपीसी/बंद लिफाफा/प्र०अ०-प्रधानाचार्य/2018-17 से 18-19/बी-2 दिनांक 14.2.19
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-


1. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. शासन उप सचिव (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), चूरु संभाग, चूरु।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक झुंझुनू
7. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, झुंझुनू
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/विजांच/ एसीआर अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. संबंधित कार्मिक श्री प्रकाशवीर, व.अ. -अंग्रेजी, राउमावि, ओजटू, चिड़ावा, झुंझुनू।
10. प्रभार प्रभारी -बी-2, कार्यालय हाजा को पदस्थापन हेतु।
11. रक्षित पत्रावली: .../बी-3/ डीपीसी/प्रअ-प्रधानाचार्य/2018-17 से

संयुक्त निदेशक (विभागीय)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद की डीपीसी वर्ष 2012-13 में चयनित कार्मिकों के चयन आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-III/प्रधानाचार्य/डीपीसी/12-13 दिनांक 29.04.2013 में क्रस 67 पर अंकित श्री भवानी सिंह वरिष्ठता क्रमांक 602/1990-91 की जन्मतिथि दिनांक 19.07.01960 के स्थान पर 19.11.1960 पढ़ी जावें। आदेश की मूल शर्तें यथावत रहेगी।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्थाबी-3/संशोधन/2017-18/

दिनांक 14-02-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. उपशासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राज0 जयपुर
3. सिस्टम एनॉलिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभाग की वेबसाई पर अपलोड हेतु।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा
5. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
6. संबंधित कार्मिक श्री भवानी सिंह, प्रधानाचार्य राउमावि फलौदी, जोधपुर
7. प्रभारी बी-1-2/ए-2,7 **वरिष्ठता अनुभाग**
8. कार्यालय प्रति


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर